"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001." -



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2012—भाद्र 3, शक 1934

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-3/2008/34-1 (पार्ट-एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 कहलायेंगे।
   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट है;
   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;
   (ग) **"प्रमुख अभियंता"**, **"मुख्य अभियंता"**, **"अधीक्षण अभियंता"**, **"कार्यपालन अभियंता"** तथा **"सहायक अभियंता"** से अभिप्रेत है, तत्संबंधी प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में है;
   (घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, नियम-11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ङ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;
(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
(ञ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा;
(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.—**सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.—** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;
(ख) पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार में दर्शित है;
(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों।

(2) उप-नियम (1) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों

को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति**.– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**.– प्रतियोगिता परीक्षा (परीक्षा में प्रतियोगिता)/चयन के लिये पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) **आयु**– (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में विहित आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (6) में दर्शित है।

(3) **फीस**–अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में या चयन हेतु उपस्थित होने के लिये उसे (अभ्यर्थी को) निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/चयन मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– **(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें चार सदस्य सम्मिलित होंगे:–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा, तथा

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए

सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये भी आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की अपेक्षित अनुभव के साथ, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो; तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें**.– (1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति–संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(3) पदोन्नति के लिए शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना**.– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची**.– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (5) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची मे सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पूनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17 **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–**

(1) चयन सूची मे सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति, उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम मे उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा मे सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।

19. **निर्वचन:–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भुत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण:–** इन नियमों मे दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नही लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमो में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21 **व्यावृत्ति :–** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

22 **निरसन तथा व्यावृत्ति :–** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते है

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

अनुसूची एक

(नियम 5 देखियें)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)					
1.	उप अभियंता	337 सिविल	अराजपत्रित स्टेट वाईड केडर	9300–34800	4200/–	प्रमुख अभियता
2.	उप अभियंता वि/यां	94 वि/यां	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
3.	मुख्य मानचित्रकार	01	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
4.	मानचित्रकार	37	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
5.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	02	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
6.	फोरमेन	01	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
7.	रिग ऑपरेटर	05	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
8.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
9.	सहायक रिग ऑपरेटर	05	–तदैव–	5200–20200	2400/–	प्रमुख अभियंता /अधीक्षण अभियंता
10.	सहायक मानचित्रकार	36	–तदैव–	5200–20200	2400/–	प्रमुख अभियंता
11.	ड्रिलर	10	–तदैव–	5200–20200	2200/–	प्रमुख अभियंता (वि/यां)/ अधीक्षण अभियंता (वि/यां)
12.	केमिस्ट	18	–तदैव–	5200–20200	2400/–	प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता
13.	अनुरेखक	79	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–
14	सहायक केमिस्ट	01	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–

ख.	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय (राज्य स्तरीय)					
1.	अधीक्षक (मुख्यालय)	01	–तदैव–	9300–34800	4300/–	प्रमुख अभियंता
2.	अधीक्षक (मंडल कार्यालय)	08	–तदैव–	9300–34800	4200/–	–तदैव–
3.	कनिष्ट लेखाधिकारी	01 कोष एवं लेखा संचालनालय से प्रतिनियुक्ति पर	–तदैव–	9300–34800	4300/–	–तदैव–
4.	सहायक ग्रेड–1 (मुख्यालय)	08	–तदैव–	5200–20200	2800/–	–तदैव–
5.	सहायक ग्रेड–1 (मंडल कार्यालय)	06	–तदैव–	5200–20200	2800/–	–तदैव–
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	01	–तदैव–	9300–34800	4400/–	–तदैव–
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	03	–तदैव–	9300–34800	4300/–	प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	09	–तदैव–	5200–20200	2800/–	–तदैव–
9.	लेखापाल	03	–तदैव–	5200–20200	2400/–	–तदैव–
10.	सहायक ग्रेड –2 (मुख्यालय)	12	–तदैव–	5200–20200	2400/–	–तदैव–
11.	सहायक ग्रेड–3	24	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–
12.	स्टेनो टायपिस्ट	31	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–
13.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	32	–तदैव–	5200–20200	2200/–	–तदैव–
14.	सुपरवाईजर	01	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–
15.	वाहन चालक	08	–तदैव–	5200–20200	1900/–	–तदैव–
16.	दफ्तरी	03	–तदैव–	4750–7440	1400/–	–तदैव–
17.	भृत्य	21	–तदैव–	4750–7440	1300/–	–तदैव–

ग.	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय (राज्य स्तरीय)					
1.	सहायक ग्रेड–2	157	–तदैव–	5200–20200	2400 / –	अधीक्षण अभियंता।
2.	सहायक ग्रेड–3	191	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
3.	संभागीय लेखापाल	27	–तदैव–	9300–34800	4200 / –	–तदैव–
	तृतीय श्रेणी अन्य					
1.	प्रयोगशाला सहायक	18	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
2.	हैण्डपंप तकनीशियन	750	–तदैव–	5200–20200	2200 / –	–तदैव–
3.	इलेक्ट्रिशियन	01	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
4.	फिटर	02	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
5.	शिफ्ट ड्राइवर	01	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
6.	टर्नर	02	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
7.	वेल्डर	01	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
8.	ट्रक चालक	17	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
9.	वाहन चालक (वरिष्ठ)	33	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
10.	लाईन मेन	02	–तदैव–	4750–7440	1400 / –	–तदैव–
11.	ऐयर काम्प्रेशर चालक	03	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
12.	मेकेनिक	13	–तदैव–	5200–20200	1900 / –	–तदैव–
13.	हेल्पर	16	–तदैव–	4750–7440	1300 / –	–तदैव–
14.	क्लीनर	13	–तदैव–	4750–7440	1300 / –	–तदैव–
15.	दफ्तरी	28	–तदैव–	4750–7440	1400 / –	–तदैव–
16.	भृत्य	209	–तदैव–	4750–7440	1300 / –	–तदैव–
17	चौकीदार	70	–तदैव–	4750–7440	1300 / –	–तदैव–

अनुसूची–दो

नियम 6 (2) देखिए

स क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम 1–वर्ग 2–पदों का विवरण	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क)	सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख)	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतर द्वारा नियम 6 (1) (ग)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

तृतीय श्रेणी (अनुसचिवीय)

1.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपअभियंता सिविल	337	95 %	05 %	–	(एक)प्रमुख अभियंता द्वारा नाम निर्देशित अधीक्षण अभियंता–अध्यक्ष (दो)कार्यपालन अभियंता– सदस्य (अनु.जा.) (तीन)कार्यपालन अभियंता –सदस्य (अनु.जा) (चार)कार्यपालन अभियंता –सदस्य (सामान्य)	
2.		उप अभियंता वि/यां	94	95 %	05 %	–	–तदैव–	
3		मुख्य मानचित्रकार	01	–	100 %	–	प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित (एक)अधीक्षण अभियंता –अध्यक्ष (दो)कार्यपालनअभियंता.. – सदस्य (अनु.जा.) (तीन)कार्यपालनअभियंता –सदस्य (अनु.जा.) (चार)कार्यपालन अभियंता–सदस्य (सामान्य)	अनुपलब्धता की दशा में पदों को अस्थाई आधार पर उप अभियंताओं के स्थानांतरण द्वारा भरे जाएगें।
4		मानचित्रकार	37		100 %		–तदैव–	–तदैव–
5		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	02	100 %	–	–	–तदैव–	–तदैव–
6		फोरमेन	01		100 %		–तदैव–	मैकेनिक (वि0 / यां0) संकाय में कार्यरत ऐसे अर्हताधारी कर्मचारी जिन्होने दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो एंव

								मशीनों के [illegible] कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा।
7.		रिंग ऑपरेटर	05	—	100%	—	–तदैव–	सहायक रिंग ऑपरेटर से पदोन्नति द्वारा
8.		सहायक रिंग ऑपरेटर	05		100% (50% ड्रिलर 50% हेल्पर /क्लीनर/ रिंग ड्राइवर)		–तदैव–	—
9.		सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100%	--	—	–तदैव–	—
10.		सहायक प्रोग्रामर	01	100%	—	—	–तदैव–	—
11.		सहायक मानचित्रकार	36	75%	25%	--	–तदैव–	अनुरेखक की पदोन्नति द्वारा
12.		ड्रिलर	10	100%	—	—	(एक) अधीक्षण अभियंता वि./यां. –अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता वि./यां. (अनु.जा.) –सदस्य (तीन) सहायक अभियंता (अनु.जजा.) –सदस्य (चार) सहायक अभियंता (सामान्य) –सदस्य	हेल्पर/क्लीनर के पद पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें ड्रिलिंग कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा।
13.		केमिस्ट	18	75%	25%	—	–तदैव–	प्रयोगशाला सहायक एवं सहायक केमिस्ट जिन्होंने कमशः 10 वर्ष एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
14.		अनुरेखक	79	100%	—	—	–तदैव–	
15.		सहायक केमिस्ट	01		100%	—	–तदैव–	विभाग में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने केमिस्ट्री विषय के साथ हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण की हो, की नियुक्ति द्वारा पदों को भरे जायेंगे।

16.		अधीक्षक (मुख्यालय)	01	–	100%	–	प्रमुख अभियता द्वारा नाम निर्देशित समिति द्वारा	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता / मंडल कार्यालय के अधीक्षक के पदोन्नति द्वारा।
17.		अधीक्षक (मण्डल कार्यालय)	08	–	100%		–तदैव–	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता / मंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड–1 के पदोन्नति द्वारा।
18.		कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	01	–		100%	–तदैव–	कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद संचालनालय कोष एवं लेखा से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।
19.		सहायक ग्रेड–एक (मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय)	14		75% पदोन्नति द्वारा 25% सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा		–तदैव–	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय के पद, वरिष्ठता कम में लेखापाल एंव सहायक ग्रेड–दो से भरे जायेंगे। अन्य कार्यालयों के पद सहायक ग्रेड–दो के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। 25% पद ऐसे सहायक ग्रेड–दो जो स्नातक हो और पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, के सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएगें।
20.		शीघ्रलेखक ग्रेड–एक	01	–	100%	–	–तदैव–	–
21.		शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	03	–	100%	–	–तदैव–	–

22.		शीघ्रलेखक ग्रेड--तीन	09	50%	50%		-तदैव-	स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति द्वारा।
23.		लेखापाल	03	---	100%		-तदैव-	पदों को प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता कार्यालय के ऐसे सहायक ग्रेड-तीन, जिन्होंने लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो की पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता कम में भरे जायेंगे।
24.		सहायक ग्रेड-दो (प्र0अ0 /मु0अ0 कार्यालय)	12	—	100%	—	-तदैव-	प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड-तीन के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
25.		सहायक ग्रेड-तीन (प्र0अ0/मु0अ कार्यालय)	24	75%	25%	—	-तदैव-	25% पदों को प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।
26.		स्टेनो टायपिस्ट	30	100%	—	—	-तदैव-	—
27.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	30	100%	—	—	-तदैव-	—
28.		सुपरवाईजर	01		100%	—	-तदैव-	प्रमुख अभियंता /मुख्य अभियंता कार्यालय के दफ्तरी की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
29.		वाहन चालक	08	100%	—	—	-तदैव-	—

30.		दफ्तरी	03		100%		—तदैव—	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय के भृत्य की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
31.		भृत्य	19	100%	—		—तदैव—	—
	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय (राज्य स्तरीय)							
1.		सहायक ग्रेड–दो	157	—	100%	-	(एक) अधीक्षण अभियंता (मंडल कार्यालय) —अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता (अनु.जजा / अनु.जा.) —सदस्य (तीन) कार्यपालन अभियंता —सदस्य	मंडल स्तर पर वरिष्ठतावार सहायक ग्रेड–तीन, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
2.		सहायक ग्रेड–3	191	75%	25%		—तदैव—	25% पदो को भृत्य जो हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
3.		संभागीय लेखापाल	27	—	—	100%	—तदैव—	अस्थाई आधार पर महालेखाकर द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
4.		प्रयोगशाला सहायक	18	100%	—	—	—तदैव—	—
5.		हैण्डपंप तकनीशियन	750	100%	—	—	—तदैव—	—
6.		इलेक्ट्रीशियन	01	100%	—	—	—तदैव—	—
7.		फिटर	02	50%	50%	—	—तदैव—	पदों को, विभाग में कार्यरत नियमित कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा विहित अर्हता रखते हों, के द्वारा भरे जा सकेंगे।

8.		शिफ्ट ड्राइवर	01	100%	—		—तदैव—	[illegible]
9.		टर्नर	02	50%	50%	--	—तदैव—	—तदैव—
10.		वेल्डर	01	100%	--		—तदैव—	—
11.		ट्रक चालक	17	75%	25%	—	—तदैव—	हेल्पर / क्लीनर के पद पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं भारी वाहन चालन का लाइसेंस धारण करता हो, के द्वारा भरें जायेंगे।
12.		वाहन चालक	33	75%	25%	—	—तदैव—	हेल्पर / क्लीनर के पद पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, के द्वारा भरे जायेंगे।
13.		मेकेनिक	13	50%	50%	—	—तदैव—	हेल्पर / क्लीनर के पद पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, के द्वारा भरे जायेंगे।
14.		लाईनमेंन	02	75%	25%	—	—तदैव—	हेल्पर / क्लीनर के पद पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, के द्वारा भरे जायेंगे।
15.		एयर कम्प्रेशर चालक	03	75%	25%	—	—तदैव—	हेल्पर / क्लीनर के पद पर कार्यरत ऐसे

							कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, के द्वारा भर जायेंगे।
	हेल्पर	16	100%	—		–तदैव–	—
	क्लीनर	13	100%	—		–तदैव–	—
	दफ्तरी	28	—	100%	—	–तदैव–	अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालन अभियंता/ सहायक अभीयंता कार्यालय के भृत्य की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
9.		भृत्य	209	100%	—	—	–तदैव–	—
0.		चौकीदार	70	100%	—	—	–तदैव–	संबंधित मंडल कार्यालय

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भर्ती नियम

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	उप अभियंता (सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा।	
2.		वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलॉजिस्ट)	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातक या प्रायोगिक भू विज्ञान में पत्रोपाधि या समकक्ष अथवा इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स धनबाद से प्रायोगिक भू विज्ञान में पत्रोपाधि।	
3.		सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान / गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी में मास्टर डिग्री, (सूचना और प्राद्योगिकी के साथ) आपरेशन रिसर्च / कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण। अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी.एससी. अथवा बी.सी.ए. 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	
4		सहायक मानचित्रकार	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चित्रकार अधिदर्शक, उप–अधिदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से मानचित्रकार / ट्रेड प्रमाणपत्र एवं कम्प्यूटर का ज्ञान।	

5.		केमिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	रसायन विज्ञान में बी.एससी. उत्तीर्ण।	
6.		अनुरेखक			हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण। तथा प्रारंभिक और माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान।	
7.		शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यकम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए, हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए, अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन कमशः 100 शब्द तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खंड (क) तथा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
8.		सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाइप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	

			तृतीय श्रेणी अन्य			
1.		स्टेनो टायपिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी टाइप लेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, तथा (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
2.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) उत्तीर्ण। अथवा 10वीं बोर्ड परीक्षा एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
3.		प्रयोगशाला सहायक	–तदैव–	–तदैव–	रसायन विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।	
4.		हैण्डपंप तकनिशियन	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से फिटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड में मोटर मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक, ऑटोमोबाइल मेकेनिक, मशीनिष्ट का 2 वर्षीय पाठ्यकम उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र।	
5.		इलेक्ट्रिशियन	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से इलेक्ट्रिकल/वायरमेन ट्रेड का प्रमाण पत्र।	

6.		लाईनमेन	–तदैव–	–तदैव–	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी.आई) से वायरमेन ट्रेड का प्रमाण पत्र।	
7.		फिटर	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी.आई) से फिटर ट्रेड का प्रमाण पत्र।	
8.		ड्रिलर	–तदैव–	–तदैव–	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी.आई) से मेकेनिकल / मशीनिष्ट ट्रेड का प्रमाण पत्र।	
		तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय				
1.		शिफ्ट ड्राइवर	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी.आई) से मेकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र।	
2.		वेल्डर / टर्नर	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी.आई) से वेल्डर / टर्नर ट्रेड का प्रमाण पत्र।	
3.		मोटर चालक / ट्रक चालक / जीप चालक / लारी चालक / वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा भारी / हल्के वाहन चालन का लाइसेंस।	
4.		एयर कम्प्रेशर चालक	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी.आई) से मशीनिष्ट का प्रमाण पत्र।	
5.		मेकेनिक	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	
6.		हेल्पर / क्लीनर	–तदैव–	–तदैव–	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	
7.		भृत्य / चौकीदार	–तदैव–	–तदैव–	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	

अनुसूची चार

(नियम 13 देखिए)

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता की न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम (नियम 13 देखिये)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालक) विभिन्न पदों पर कार्यरत डिप्लोमा/ डिग्रीधारी, कर्मचारी	05 वर्ष	उप अभियंता (सिविल/ वि./यां.)	प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित (एक) अधीक्षण अभियंता, सिविल/ (वि. /यां) —अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता सिविल/ (वि./यां) – सदस्य (तीन) (अ0जा0 /अजजा से) कार्यपालन अभियंता – सदस्य	
1.		मैकेनिक (वि./यां.)	मशीनों के सुधार कार्य का 12 वर्ष का अनुभव	फोरमेन	(एक) अधीक्षण अभियंता (वि./यां) —अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता (वि./यां) – सदस्य (तीन) (अ0जा0 /अजजा से) कार्यपालन अभियंता – सदस्य	वि/यां. केडर के मैकेनिक के पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा
2.		सहायक रिग आपरेटर	ड्रीलिंग कार्य का 08 वर्ष का अनुभव या 80000 फुट फास्ट रिग पर ड्रीलिंग का अनुभव।	रिग आपरेटर	—तदैव—	
3.		ड्रिलर	ड्रिलर के पद पर पांच वर्षो का अनुभव एवं हिन्दी अंग्रेजी पढ़ने तथा माइकोमीटर एवं वर्नियर केलिपर पढ़ने की भी क्षमता हो तथा आईल के ग्रेड्स जानने की क्षमता	सहायक रिग आपरेटर	—तदैव—	
4.		रिग चालक/हेल्पर/ क्लीनर/	फास्ट रिग पर 20000 फुट ड्रिलिंग का 5 वर्ष का अनुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ने तथा माइकोमीटर एवं वर्रियर केलिपर पढ़ने की भी	सहायक रिग आपरेटर	—तदैव—	

			क्षमता हो एवं ऑइल के ग्रेड्स जानने की क्षमता हो।			

तृतीय श्रेणी तकनीकी गैर–कार्यपालक

1.		मानचित्रकार	5 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	(एक) अधीक्षण अभियंता –अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता (अ.जा./अ.जजा.) –सदस्य (तीन) कार्यपालन अभियंता –सदस्य	प्रमुख अभियंता द्वारा नाम निर्देशित
2.		सहायक मानचित्रकार	8 वर्ष	मानचित्रकार	–तदैव–	–तदैव–
3.		अनुरेखक	12 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	–तदैव–	–तदैव–

तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय

1.		अधीक्षक (अधी. अभि. कार्यालय)	5 वर्ष	अधीक्षक (मुख्य अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
2.		शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–एक	–तदैव–	–तदैव–
3.		शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	–तदैव–	–तदैव–
4.		स्टेनो टाइपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–
5.		सहायक ग्रेड–एक (मुख्य कार्यालय) सहायक ग्रेड–एक (अन्य कार्यालय)	5 वर्ष	अधीक्षक (अधी. अभि./मुख्य अभि. कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
6.		लेखापाल	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
7.		सहायक ग्रेड–दो (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–

8.		सहायक ग्रेड–तीन (प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियता कार्यालय)	5 वर्ष एवं लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड–दो (प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
9.		सहायक ग्रेड–दो (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
10.		सहायक ग्रेड–तीन (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष एवं लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड–दो (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	–तदैव–
11.		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समस्त कार्यालय	5 वर्ष एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड–तीन समस्त कार्यालय	–तदैव–	–तदैव–
12.		भृत्य	5 वर्ष	दफ्तरी	– तदैव –	– तदैव –
13		दफ्तरी	5 वर्ष	सुपरवाइजर	– तदैव –	– तदैव –
				तकनीकी		
1.		प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष	सहायक केमिस्ट	– तदैव –	– तदैव –
2.		सहायक केमिस्ट	5 वर्ष	केमिस्ट	– तदैव –	– तदैव –
3.		प्रयोगशाला सहायक	10 वर्ष	केमिस्ट	– तदैव –	– तदैव –
4.		हेल्पर / क्लीनर	10 वर्ष	एयर काम्प्रेशर चालक / शिफ्ट ड्राइवर / टर्नर / फीटर / वेल्डर / इलेक्ट्रीशियन / मेकेनिक / लाइनमेन	– तदैव –	– तदैव –

Raipur, the 25th August 2012

NOTIFICATION

No. F 8-3/2008/34-1 (Part-I).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment in Chhattisgarh Public Health Engineering (Non-Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012.

   (2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires;

   (a) **"Appointing Authority"** means the Appointing Authority as specified in Schedule-II;

   (b) **"Committee"** means the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule IV;

   (c) **"Engineer-In-Chief", "Chief Engineer", "Superintending Engineer", "Executive Engineer" and "Assistant Engineer"** means the officers of the corresponding categories as in public Health Engineering Department;

   (d) **"Examination"** means a competitive examination held for recruitment to the service under rule 11;

   (e) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

   (f) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

   (g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

   (h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (j) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(k) **"Service"** means the Chhattisgarh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service;

(l) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and Application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of Service.- The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc. - The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that, the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment .- (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion as shown in Schedule IV;

(c) By transfer/deputation of the persons who hold in a officiating/ substantive capacity in such posts in such services,

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of post as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment in the Service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment .-** In order to be eligible to compete of the examination/ selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age - (a) A candidate must have attained the age prescribed in column (4) of Schedule III and not attained the age specified in column (5) of said Schedule on the first Day of January next following the date of commencement of the examination/ selections.

(b) The upper age limit will also be relaxable up to maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years to a women candidate as per provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more that 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for an other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more that one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less that six months and who was

discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an Ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more that three years.

Explanation- The term "Ex-service-man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less that six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement,
(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground the they are unlikely to become efficient soldiers;
(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable upto maximum of two years in respect of Green Cards holder candidate under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto maximum of 5(five) years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) In any case maximum age to get eligible for government job shall not exceed 45 years irrespective of the age relaxation under on or more than one category mentioned above.

Note: (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in above clause (d) (i) and (ii) shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed, the departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(l) In respect of age limit, the direction issued by General Administration Department from time to time shall also be applicable.

(2) Educational Qualification - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (6) of Schedule-III.

(3) Fees.- The candidate must pay the fees as prescribed by the Government.

9. Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him (to candidate) for appearing in the examination or for selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.- The decision of the Appointing Authority/Selection Board as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/ selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination / interview.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination/ Selection.- (1) Direct Recruitment by Competitive Examination- Appointing Authority shall constitute selection Committee consisting of four members:-

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the selection committee in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection.-(i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time, determine.

(ii) The Selection of the candidate for the service shall be made by the selection committee, and

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub rule(3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for woman candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (special provision for appointment of woman) Rule 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority it is found that the sufficient number of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes with the requisite experience is not likely to be available in for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for the physically disabled candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department from time to time.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee.- (1)** The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that such standard but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. Candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear as per in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion. - (1)** There shall be constituted a Committee consisting of the members specified in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of the for constitution of the committee, under this sub rule, provisions of section 8 of Chhattisgarh Public Service (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instruction issued by Government of Chhattisgarh General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.**- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on 1st January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion.- The calculation of the period of qualifying services on the 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant is has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) The reservation in Promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) Promotion shall be made in accordance with the reservation roster prescribed by the Government for Promotion.

15. **Preparation of list of Suitable candidates** - (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (Seniority-Subject to-Fitness) in all resects.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post, as specified in column (3) of Schedule IV at the time of preparation of selection list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation -The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.-** (1)The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for the promotion of the members of the service, from the posts mentioned in column (3) of Schedule- IV to the posts mentioned in column (5) of Schedule- IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid for 31 December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made in the instance of the Appointing Authority and he may, if it think fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the post born on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation:** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Saving.- Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation, and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/ orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. Repeal and saving.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are, hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWKARMA, Secretary.

SCHEDULE- I

(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in Service	Total Number of posts	Classification	Scale of pay	Grade pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	**Class III(Executive)**					
1.	Sub -Engineer	337 Civil	Non-Gazetted State wide cadre	9300-34800	4200/-	Engineer-In-Chief
2.	Sub -Engineer E/M	94 E/M	---do---	9300-34800	4200/-	----do----
3.	Head Draftsman	01	---do---	9300-34800	4200/-	----do----
4.	Draftsman	37	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
5.	Senior Technical Assistant	02	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
6.	Foreman	01	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
7.	Rig Operator	05	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
8.	Assistant Computer Programmer	02	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
9.	Assistant Rig Operator	05	---do---	5200-20200	2400/-	Engineer-In-Chief/ Superintending Engineer
10.	Assistant Draftsman	36	---do---	5200-20200	2400/-	Engineer-In-Chief
11.	Driller	10	---do---	5200-20200	2200/-	Chief Engineer(E/M)/ Superintending Engineer(E/M)
12.	Chemist	18	do.	5200-20200	2400/-	Engineer-In- Chief /Chief Engineer
13.	Tracer	79	-- do....	5200-20200	1900/-	-------do------
14.	Assistant Chemist	01	--do.....	5200-20200	1900/-	-------do------

B.	**Class III Ministerial (State Level)**					
1.	Superintendent (Head Office)	01	---do---	9300-34800	4300/-	Engineer-In-Chief
2.	Superintendent(Board Office)	08	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
3.	Junior Accounts Officer	01 on deputation by Directorate Treasury and Accounts	---do---	9300-34800	4300/-	---do---
4.	Assistant Grade- I (Head Office)	08	---do---	5200-20200	2800/-	---do---
5.	Assistant Grade- I (Board Office)	06	---do---	5200-20200	2800/-	---do---
6.	Stenographer Grade-1	01	---do---	9300-34800	4400/-	---do---
7.	Stenographer Grade-2	03	---do---	9300-34800	4300/-	Engineer-In- Chief /Chief Engineer
8.	Stenographer Grade-3	09	---do---	5200-20200	2800/-	---do---
9.	Accountant	03	---do---	5200-20200	2400/-	---do---
10.	Assistant Grade-2 (Head Office)	12	---do---	5200-20200	2400/-	---do---
11.	Assistant Grade-3	24	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
12.	Steno typist	31	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
13.	Data Entry Operator	32	---do---	5200-20200	2200/-	---do---
14.	Supervisor	01	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
15.	Driver	08	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
16.	Daftry	03	---do---	4750-7440	1400/-	---do---
17.	Peon	21	---do---	4750-7440	1300/-	---do---

C.	**Class-III Non Ministerial (State Level)**					
1.	Assistant Grade-2	157	---do---	5200-20200	2400/-	Superintending Engineer
2.	Assistant Grade-3	191	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
3.	Divisional Accountant	27	---do---	9300-34800	4200/-	---do---
	Other Class- III					
1.	Lab Assistant	18	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
2.	Hand Pump Technician	750	---do---	5200-20200	2200/-	---do---
3.	Electrician	01	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
4.	Fitter	02	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
5.	Shift Driver	01	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
6.	Turner	02	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
7.	Welder	01	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
8.	Truck Driver	17	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
9.	Driver(Senior)	33	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
10.	Lineman	02	---do---	4750-7440	1400/-	---do---
11.	Air Compressor Driver	03	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
12.	Mechanic	13	---do---	5200-20200	1900/-	---do---
13.	Helper	16	---do---	4750-7440	1300/-	---do---
14.	Cleaner	13	---do---	4750-7440	1300/-	---do---
15.	Daftry	28	---do---	4750-7440	1400/-	---do---
16.	Peon	209	---do---	4750-7440	1300/-	---do---
17.	Watchman	70	---do---	4750-7440	1300/-	---do---

SCHEDULE-II

(See Rule 6(2))

Sr. No.	Name of Department	Name of Service/ posts 1-Class 2-Details of Posts	Total No. of duty Posts	Percentage of the duty Posts to be filled			Departmental Promotion Committee	Remarks
				By direct recruitment See Rule 6 (1) (a)	By promotion of the members of the Service (See Rule 6 (1) (b))	By temporary transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Class III(Ministerial)				
1	Public Health Engineering	Sub Engineer civil	337	95%	5%	-	(i)Superintending Engineer nominated by Engineer-In-Chief,- Chairman (ii)Executive Engineer- Member (S.T) (iii)Executive Engineer- Member (S.C) (iv)Executive Engineer- Member (General)	
2		Sub Engineer E/M	94	95%	5%	-	-do-	-
3		Head Draftsman	01	-	100%	-	Superintending Engineer nominated by Engineer-In-Chief,- Chairman (i)Superintending Engineer-Chairman (ii)Executive Engineer- Member (S.T) (iii)Executive Engineer- Member (S.C) (iv)Executive Engineer- Member (General)	In case of non availability. post shall be filled in, by transfer of Sub Engineer on temporary basis
4		Draftsman	37		100%		-do-	-do-

		Senior Technical Assistant	02	100%	-	-	---do---	---do---
6.		Foreman	01	-	100%	-	---do---	By promotion of such qualified working employees in faculty of Mechanic(E/M who have attained 10 years of Service and sufficient experience of repairing of mechanic.
7.		Rig Operator	5	-	100%	-	---do---	By promotion from Assistant Rig Operator
8.		Assistant Rig Operator	05		100% (50% driller 50% helper/ cleaner/ ring driver)	-	---do---	-
9.		Assistant Computer Programmer	01	100%	-	-	---do---	-
10.		Assistant Programmer.	01	100%	-	-	---do---	-
11.		Assistant Draftsman	36	75%	25%	-	---do---	By promotion of Tracer
12.		Driller	10	100%	-	-	(i) Superintending Engineer E/M-Chairman (ii) Executive Engineer E/M(S.C)-Member (iii) Assistant Engineer(S.T)-Member (iv) Assistant Engineer(General) -Member	By promotion of such employees working on the post of Helper/Cleaner who have sufficient experience of drilling.
13.		Chemist	18	75%	25%	-	---do---	Lab Assistant and Assistant Chemist who have attained 10 years and 5 years of service respectively.
14.		Tracer	79	100%	-	-	---do---	

15.		Assistant Chemist	01		100%	-	---do---	The post shall be filled by appointment of regular employees of department and such employees who have passed Higher Secondary with chemistry.
16.		Superintendent (Head Office)	01	-	100%	-	By Committee nominated by Engineer-In-Chief	By promotion of Superintendent of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer/ Board
17.		Superintendent (Board Office)	08	-	100%	-	---do---	By promotion of Assistant Grade-I of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer/ Board
18.		Junior Account Officer(deputation)	01	-	-	100%	---do---	Post of Junior Accounts Officer shall be filled by deputation of employees from Directorate Treasury and Accounts.
19.		Assistant Grade- I (Head Office and Board Office)	14		75% By Promotion 25% By limited departmental examination.		---do---	Post of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer shall be filled by Accountant and Assistant Grade-II in order of seniority. Posts of other offices shall be filled by promotion of Assistant Grade-II employee. 25% posts shall be filled by limited departmental examination such Assistant Grade-II who are Graduate and have completed 5 years regular services
20.		Stenographer Grade-I	01	-	100%	-	---do---	-
21.		Stenographer Grade-II	03	-	100%	-	---do---	-
22.		Stenographer Grade-III	09	50%	50%	-	---do---	By promotion of Steno typist.

[illegible]		Accountant	03	-	100%	--	---do---	Post shall be filled by promotion of Assistant Grade-III of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer/ in order of seniority who has passed Account training examination
24.		Assistant Grade-II (E-In-C./C.E. Office)	12	-	100%	-	---do---	Shall be in filled by promotion of Assistant Grade-III of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer
25.		Assistant Grade-III (E-In-C./C.E. Office)	24	75%	25%	-	---do---	25% posts shall be filled in by appointment of Class-IV employees of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer who have passed Higher Secondary Examination.
26.		Steno typist	30	100%	-	-	---do---	-
27.		Data Entry Operator	30	100%	-	-	—do —	-
28.		Supervisor	01	-	100%	-	---do---	Shall be filled in by promotion of Daftry of the Office of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer
29.		Driver	08	100%	--	-	---do---	-
30.		Daftry	03		100%		....do.....	Shall be filled in by promotion of Peon of Engineer-In-Chief/ Chief Engineer
31.		Peon	19	100%	-	-	---do---	-

		Class-III Non-Ministerial (State Level)						
1.		Assistant Grade-II	157	-	100%	-	(i) Superintending Engineer (Board Office)- Chairman (ii) Executive Engineer (S.T./S.C)-Member (iii) Executive Engineer-Member	Assistant Grade-III seniority wise on board level shall be eligible for promotion

		Assistant Grade-3	191	75%	25%	-	---do---	25% posts shall be filled in by promotion of peons who should have passed Higher Secondary Examination
3.		Divisional Accountant	27	-	-	100%	---do---	Shall be appointed by Accountant General on temporary basis
4.		Lab Assistant	18	100%	-	-	---do---	-
5.		Hand Pump Technician	750	100%	-	-	---do---	-
6.		Electrician	01	100%	-	-	---do---	-
7.		Fitter	02	50%	50%	-	---do---	The posts can be filled in by regular employees working in the department who have completed 5 years service and possess prescribed qualification.
8.		Shift Driver	01	100%	-	-	---do---	---do---
9.		Turner	02	50%	50%	-	---do---	---do---
10.		Welder	01	100%	-	-	---do---	-
11.		Truck Driver	17	75%	25%	-	---do---	shall be filled in by employees working on the post of Helper/Cleaner who have completed 10 years of service, passed 8th class and possesses heavy driving license
12.		Driver	33	75%	25%	-	---do---	Shall be filled by employees working on the post of Helper/Cleaner who have completed 10 years of service and passed 8 th class.
13.		Mechanic	13	50%	50%	-	...do.....	Shall be filled by employees working on the post of Helper/Cleaner who have completed 10 years of service and passed High School Examination.

		Lineman	02	75%	25%	-	---do---	Shall be filled in by employees working on the post of Helper/Cleaner who have completed 10 years of service and passed High School Examination.
15.		Air Compressor Driver	03	75%	25%	-	---do---	Shall be filled in by employees working on the post of Helper/Cleaner who have completed 10 years of service and passed High School Examination.
16.		Helper	16	100%	-	-	---do---	--------
17.		Cleaner	13	100%	-	-	---do---	---------
18.		Daftry	28	-	100%	-	---do---	Shall be filled in by promotion of Peon of the Office of Superintendent Engineer /Executive Engineer/Assistant. Engineer.
19.		Peon	209	100%	-	-	---do---	-
20.		Watchman	70	100%	-	-	---do---	Concerning Board Office

SCHEDULE- III

(See Rule 8)

Recruitment Rules of Public Health Engineering Department

S. No.	Name of Department	Name of Service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Public Health Engineering	Sub -Engineer (civil/mechanical/ electrical)	18 year	30 year (35 year for domicile residents of Chhattisgarh State)	3 years diploma in civil/mechanical/electrical from any recognized institute by State Government	
2.		Senior Technical Assistant (Geologist)	---do---	---do---	Degree in Geology or Diploma in Practical Geology or equivalent from recognized University or Diploma in Practical Land Science Indian Schools of Mines Dhanbad	
3.		Assistant Computer Programmer	.....do....	.....do....	Post Graduate Degree in Computer Science from recognized University passed in first division with 60% marks. or Master Degree in Physics/Mathematics/Economy/ Statistics, (with Information and Technology) Passed Operation Research/Post Graduate Diploma in Computer Science from recognized University. or Graduation Degree and Post Graduate Diploma in Computer Science passed with 60% marks. or B.Sc. or B.C.A. in Computer Science from recognized University passed with 60% marks.	
4.		Assistant Draftsman	---do---	---do---	Diploma in Drawing Overseer. Sub-Overseer course or Architecture from recognized University or passed Higher Secondary Examination, Draftsman/Trade Certificate From Industrial Training Centre and knowledge of Computer.	

		Chemist	---do---	---do---	Passed B.Sc. with Chemistry	
6.		Tracer			Passed Higher Secondary and Passed Elementary and Secondary Drawing Examination and knowledge of Computer.	
7.		Stenographer Grade-III	...do....	.....do....	(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/ University. (2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. (3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and should have speed of 10.000 key depression per hour in data entry.	
8.		Assistant Grade-III	---do---	---do---	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. and (3) Should have speed of 5.000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	
			Other Class-III			
1.		Steno typist	---do---	---do---	(1) Should have passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. (2) Should have passed Computer Hindi Typing examination with	

				speed of 25 wpm along with speed of 60 wpm in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute, and (3) Should have passed one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of data entry 5000 key depression per hour.	
2.		Data Entry Operator	---do----	---do---	(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board. Or Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject. (2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	
3.		Lab Assistant	---do---	---do---	Passed Higher Secondary with Chemistry.	
4.		Hand Pump Technician	---do---	---do---	Passed Higher Secondary Examination or passed 10+2 High School Examination and Certificate of passed 2 years course of Motor Mechanic, Tractor Mechanic, Automobile Mechanic, Machinist in Fitter Trade or Mechanical Trade from I.T.I.	
5.		Electrician	---do---	---do---	Passed Higher Secondary Examination or passed 10+2 High School Examination and Certificate of Electrician/Wireman Trade from I.T.I.	
6.		Lineman	---do---	---do---	Passed High School Examination and Certificate of Wireman Trade from I.T.I.	
7.		Fitter	---do---	---do---	Passed Higher Secondary Examination or 10+2 High School Examination and Certificate of Fitter Trade from I.T.I.	
8.		Driller	---do---	---do---	Passed High School Examination and Certificate of Mechanical/Machinist Trade from I.T.I.	

SCHEDULE-IV
(See rule-13)

S.No	Name of Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum period of eligibility for promotion to next higher post	Name of service or post on which promotion is to be made	Name of member of the Departmental Promotion Committee (See Rule-13)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Public Health Engineering	Class-III Technical (Executive) Diploma/Degree holder employees working in different posts	05 years	Sub Engineer (civil/mechanicl/electrical)	Nominated by Engineer-In-Chief (i) Superintending Engineer Civil/(E/M) Chairman (ii) Executive Engineer Civil/(E/M) - Member (iii) Executive Engineer from SC/ST-Member	
1.		Mechanic E/M	12 years experience of machine repairing	Foreman	(i) Superintending Engineer (E/M -Chairman (ii) Executive Engineer (E/M-Member (iii) Executive Engineer from SC/ST-Member	Promotion from eligible working employees on the post of mechanic of E/M cadre
2.		Assistant Rig Operator	8 years experience of drilling or experience of 80000 feet of drilling on a fast rig.	Rig Operator	..........do.........	....
3.		Driller	5 years Experience on the post of driller and ability to read Hindi and English and also reading micrometer and vernier calliper and capacity to asses the grades of oil.	Assistant Rig Operator	..........do........	....
4.		Rig Driver / helper/ cleaner	5 years Experience of 20000 feet of drilling on a fast rig and ability to read Hindi and English and also reading micrometer and vernier calliper and capacity to asses the grades of oil.	Assistant Rig Operator	..........do.........	....

Class III Technical Non-Executive

1.		Draftsman	5 year	Head Draftsman	(i) Superintending Engineer-Chairman (ii) Executive Engineer (S.T/S.C) -Member (iii)Executive Engineer -Member	Nominated by Engineer-In-Chief
2.		Assistant Draftsman	8 year	Draftsman	...do...	...do...
3.		Tracer	12 Year	Assistant Draftsman	...do...	...do...

Class-III Ministerial						
1.		Superintendent (Sup. E. Office)	5 year	Superintendent (Chief Engineer Office)	---do---	---do---
2.		Stenographer Grade-II	5 year	Stenographer Grade-I	---do---	---do---
3.		Stenographer Grade-III	5 year	Stenographer Grade-II	---do---	---do---
4.		Steno typist	5 year	Stenographer Grade-III	---do---	---do---
5.		Assistant Grade-I (Head Office) Assistant Grade-I (Other Office)	5 year	Superintendent (Sup. E./ Chief Eng. Office)	---do---	---do---
6.		Accountant	5 year	Assistant Grade-I(Engineer In Chief /Chief Engineer Office)	---do---	---do---
7.		Assistant Grade-II (Engineer In Chief /Chief Engineer Office)	5 year	Assistant Grade-I (Engineer In Chief /Chief Engineer Office	---do---	---do---
8.		Assistant Grade-III (Engineer In Chief /Chief Engineer Office)	5 year and Account training pass	Assistant Grade-II (Engineer In Chief /Chief Engineer Office)	---do---	---do---
9.		Assistant Grade-II (Superintendent Engineer /Executive Engineer Office	5 year	Assistant Grade-I (Superintendent Engineer Office)	---do---	---do---
10.		Assistant Grade-III (Superintendent .Engineer /Executive Engineer Office)	5 year and Account training pass	Assistant Grade-II (Superintendent .Engineer /Executive Engineer Office)	---do---	---do---
11.		Class IV employees all offices	5 year and Higher Secondary Examination pass	Assistant Grade- III all offices	---do---	---do---
12.		Peon	5 year	Daftry	—do—	—do—
13.		Daftry	5 Year	Supervisor	—do—	—do—
Technical						
1.		Lab Assistant	5 year	Assistant Chemist	—do—	—do—
2.		Assistant Chemist	5 year	Chemist	—do—	—do—
3.		Lab Assistant	10 year	Chemist	—do—	—do—
4.		Helper/Cleaner	10 year	Air Compressor Driver/Shift Driver/Turner/Fitter/ Welder/Electrician/ Mechanic/ Lineman	—do—	—do—

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.